संख्या– /VI–I/2006

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

देहरादून : दिनांक 6 फरवरी, 2006

संस्कृति अनुभाग

विषय :– रंगमण्डल देहरादून द्वारा आयोजित बीस दिवसीय कार्यशाला के आयोजन हेतु अग्रिम धनराशि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1295/सा0नि0उ0/दो–3/2005–06 दिनांक– 20–1–2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रंगमण्डल देहरादून द्वारा उत्तरांचल की लोक संस्कृति पर आधारित बीस दिवसीय लोक संस्कृति प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन हेतु प्रशिक्षकों के मानदेय, आवास/भोजन की व्यवस्था, डेकोरेशन आदि पर होने वाले व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु शासनादेश संख्या–424/VI-I/2005 दिनांक– 2–12–2005 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रूपये 3.00 लाख के सापेक्ष रूपये 1,70,000.00 (रूपये एक लाख सत्तर हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस स्वीकृति के सापेक्ष रूपये 69,500.00 (रूपये उनहत्तर हजार पांच सौ मात्र) की कोषागार से अग्रिम आहरित कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सी तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्य को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के निय या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐ व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का क से अनुपालन किया जाय।

3. उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाए जिन मदों हेतु स्वीकृति की जा रही है अन्य किसी म व्यय नहीं किया जायेगा।

4. बजट मैनुअल/वित्त हस्त पुस्तिका एवं स्टोर परचेज रूल्स/डी0जी0एस0एन0डी0 की दरें ः टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के सम्बंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनु सुनिश्चित किया जाय।

5. उपरोक्त अग्रिम आहरित धनराशि का नियमानुसार समायोजन दिनांक–31–3–2006 तक कर लिया जाए एवं यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी मद अथवा बीजक का दोहरा भुगतान न हो।

6. धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाय।

7. विगत वर्ष स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने तथा विगत वर्ष स्वीकृत अग्रिम के समायोजन के बाद ही इस धनराशि का आहरण किया जाय।

8. उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–2205 कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का सम्बर्द्धन–00–08–रंगमण्डल की स्थापना–20–सहायक अनुदान /अंशदान /राज सहायता के आयोजनागत पक्ष के मानक मद के नामें डाला जायेगा।

9. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–921/वित्त (व्यय–नियत्रंण) अनु0–3/2006 दिनांक–03 फरवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

संख्या– 63/VI-I/ 2006, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
6. अपर सचिव, नियोजन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल।
8. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव